

बन्सुन 23/11/17

दिनांक 19-03-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादी की ओर से वाद पत्र दिनांक 25-01-2017 को प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 8 से 13 की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपस्थान्त अधिकारी  
गढ़मा (जिला लेजा)